लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 105 / 2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः—27.10.2020
GCMS No.:-2020/00364

श्री गोपीराम अग्रवाल, आर. टी. आई. रिसर्च सेंटर, बांसवाड़ा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 18.11.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 14.09.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 105 / 2020 / (17.11) / 702 दिनांक 29.10.2020 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 17.11.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 17.11.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

दिनांक 17.11.2020 का राजकीय अवकाश घोषित हो जाने से पत्रावली दिनांक 18.11.20 को पेश हुई। रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी दिनांक 18.11.2020 को भी अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 105/2020 (सू.अ.)
श्री गोपीराम अग्रवाल आर. टी. आई. रिसर्च सेंटर, बांसवाड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/434 दिनांक 05.11.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

1. यह कि प्रार्थी श्री गोपीराम अग्रवाल, आर. टी. आई. रिसर्च सेंटर, बांसवाड़ा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 14.09.2020 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 21.09.2020 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में दिनांक 09.07.2020 एवं दिनांक 08.09.2020 को इंस कार्यालय के पत्रांक 2512/2020 दिनांक 25.08.2020 एवं पत्रांक 2595/2020 दिनांक 23.09.2020 से कमशः सूचना उपलब्ध कराई गई एवं सूचना के संबंध में अवगत कराया गया। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के संबंध में प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.07.2020 एवं दिनांक 08.09.2020 को प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सूचना उपलब्ध कराने के उपरान्त पुनः इसी संबंध में आवेदन पत्र दिनांक 14.09.2020 को प्रस्तुत किया जिस पर इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2602 दिनांक 29.09.2020 से वांछित सूचना के संबंध में स्पष्ट विवरण हेतु लिखा गया, जो आदिनांक तक अप्राप्त है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
4. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में स्पष्ट विवरण प्रस्तुत न किये जाने से इस प्रकरण पर किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/434 दिनांक 05.11.2020 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2602 दिनांक 29.09.2020 से उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया है तथा पत्रावली पर

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 105/2020 (सू.अ.)

श्री गोपीराम अग्रवाल आर. टी. आई. रिसर्च सेंटर, बांसवाड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

उपलब्ध दस्तावेजानुसार अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) को उसके द्वारा वांछित सूचना का न तो स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराया गया और न ही कोई पत्र व्यवहार किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया है और ना ही कोई पत्र व्यवहार किया है तथा प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु भी उपस्थित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है।

अतः अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात् नियमानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

(के. के. शर्मा) आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./105/2020(सू.अ.)/792 दिनांकः– 18/11/2020

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री गोपीराम अग्रवाल, आर. टी. आई. रिसर्च सेंटर, बांसवाड़ा (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)